

फर्द अहकाम

न्यायालय — 34005 मजिस्ट्रेटरी जलवालापग, जलपट्ट

उभारी देनी वगैरे बनाम — वन्नालाल वर्मा

126/2016

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष ति
---------------------------	----------------------	----------

14/10/22

जलावली पेश हुई। वकील वाही उपा० ।
 वकील वाही ने बहस कला ली। जलावली
 का अपलोकन किया गया। प्रतिवादी गण
 19। दिनांक 20/05/17 को केस शांति समिति
 में उपस्थित हुए और कोर्ट जवाब पेश नहीं
 किया। तत्पश्चात् - जलावली के आडिनांक
 तक आउ। शेष प्रतिवादी गण 19 02 को 14
 जलावली के लगाने आउ। प्रतिवादी गण
 को बार-बार रोक रोक कर आवाज लगावा
 गइ। लेकिन कोर्ट उपा० नहीं। अतः प्रतिवादी गण
 19। ग.प को जवाब बन्द कर इनके खिलाफ
 कि तबका कार्यवाही अदालत के लक्ष्य पाती है।
 वकील वाही की एक रफ्त बहस हुई गई।
 वकील वाही की बहस हुनी जाकर जलावली
 का अपलोकन किया गया। अपलोकन
 कर वाही गण का स्वीकार किया जाना
 उचित समझा है। अतः वाही गण को वा
 स्वीकार कर विस्तृत निर्णय प्रदान कि
 लिखे गए जो शांति समिति द्वारा किया
 गया। जलावली केवल मुगल हैकर
 नाम से बत है। वाद रति होकर
 दाखिल इफ्त है।

उपरिष्ठ मजिस्ट्रेटरी
 न्यायाधीश

गाया
 जस
 न्नाल
 मुनित
 शानर्ग
 मुमन
 मसर
 जस
 गाख